<u>जिला रैडक्रॉस सोसायटी, हिसार द्वारा संचालित गतिविधियॉं</u>

1— **<u>रैडक्रॉस दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (अन्ध महाविद्यालय)</u>** :— संस्था द्वारा नेत्रहीनों के लिये रैडक्रॉस दृष्टिबाधितार्थ संस्थान (अन्ध महाविद्यालय) चलाया जा रहा है। जिसमें नेत्रहीनों को पहली से 8वीं कक्षा तक हरियाणा सरकार के पाठ्यक्रमानुसार ब्रैल लिपि के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तथा आत्म निर्भर बनाने के लिये संगीत, केनिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस विद्यालय में 8 से 12 वर्ष तक के नेत्रहीनों को दाखिल किया जाता है तथा सभी नेत्रहीनों को सभी जीवनोपयोगी सुविधायें निःशुल्क दी जाती है। इस समय 37 नेत्रहीन छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे है।

2— **<u>मन्दबुद्धि बच्चों के लिये शीघ्र हस्तक्षेप योजना</u>** :— इस योजना के अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे जिनमें विकासात्मक देरी होती है तथा उसी उम्र के अन्य बच्चे के मुकाबले उसका विकास धीमा हो रहा हो, तो माता—पिता को बच्चे की मानसिक मन्दता का सन्देह होना चाहिये और उसे बाल रोग विशेषज्ञ जो नवजात शिशुओं के साथ कार्य करते हैं से परामर्श करना चाहिये। इस केन्द्र में जो बच्चा आता है उसकी सामूहिक चिकित्सक टीम द्वारा जॉच की जाती है उसके बाद प्लान के अनुसार ही बच्चे से कार्य करवाया करवाया जाता है और माता—पिता को साथ—साथ प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि घर पर ही बच्चे का विकास किया जा सके।

3— **<u>ऑचल मानसिक विकास केन्द्र</u>** :— संस्था द्वारा मन्दबुद्धि बच्चों के लिये Day Care स्कूल भी चलाया जा रहा है। जिसमें मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस समय 45 मन्दबुद्धि बच्चों को शिक्षा व व्यवसायिक प्रशिक्षण (मोमवती, चाक, फाईल कवर) दिया जा रहा है।

4— **<u>फिज़ियोथैरेपी केन्द्र</u>** :— इस केन्द्र के अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से विभिन्न प्रकार के व्यायाम जैसः— लूम्बर ट्रैक्शन, सरवाईकल ट्रैक्शन, वैक्स वचथ, शार्ट—वेव डायाथरमी तथा अन्य व्यायाम करवाकर लोगों का ईलाज किया जाता है। जिसमें संस्था द्वारा 20/— रूपये प्रतिदिन के हिसाब से फीस बसूल की जाती है।

5— **<u>विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति</u>** :— इस केन्द्र के अर्न्तगत विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, बैसाखियॉं, कैलीपर, कमर बैल्ट, सर्जिकल शूज़ इत्यादि तैयार करके निःशुल्क प्रदान किये जाते है। इस केन्द्र के आरम्भ होने से अब विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को जयपुर व अन्य स्थानों पर नही जाना पड़ता है। जिससे हिसार के विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों लाभान्वित हो रहे हैं।

6— **<u>विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सहायता</u>** :— भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय, नई दिल्ली की एडिप स्कीम के विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को तिपहिया रिक्शायें, श्रवण यन्त्र तथा व्हील चेयर निःशुल्क वितरित किये जाते हैं। यह सुविधा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार उपलब्ध करवाई जाती है।

जारी.....................पेज 2

7— **<u>रक्तदान सेवायें</u>** :— संस्था द्वारा रोगियों की रक्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर कालेजों, क्लबों, फैक्ट्रियों तथा अन्य प्रमुख संस्थानों पर आयोजित किये जाते हैं। जिसमें रक्त एकत्रित करके जरूरतमन्द रोगियों की मांग को पूरा किया जाता है। गत वर्षों से हिसार जिले के गांव के युवा भी रक्तदान के लिये आगे आ रहे है तथा गांव में रक्तदान शिविर आयोजित करके रक्त की मांग को पूरा करने में सहयोग दे रहे है। इसी उमीद के साथ यह संस्था अपील करती है कि जिले का प्रत्येक गांव व शहर रक्तदान में बढ़—चढ़कर भाग लें ताकि कोई भी मरीज या रोगी रक्त की कमी के कारण काल का ग्रास न बने।

8— **<u>पैथोलोज़िकल प्रयोगशाला</u>** :— संस्था द्वारा विभिन्न बीमारियों की जॉच के लिये एक प्रयोगशाला सामान्य हस्पताल, हिसार में चलाई जा रही है। जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट आधुनिक उपकरणों द्वारा कम दर पर किये जाते हैं। अतः कोई भी व्यक्ति इस प्रयोगशाला में अपनी बीमारी के टेस्ट सस्ती दर पर करवा सकता है।

9— **<u>सैंट जॉहन एम्बुलैंस (इण्डिया)</u>** :— यह शाखा रैडक्रॉस के अन्तर्गत कार्यरत है। सैंट जॉहन

जिले के सभी उपमण्डलों में एम्बुलैंस वाहनों की सुविधा प्रदान करती हैं जिसमें गरीब रोगियों को विभिन्न हस्पतालों में ईलाज करवाने के लिये स्थान्तरित करने हेतू सुविधा प्रदान करती है। हिसार जिले के सामान्य हस्पताल हिसार, हांसी व मण्डी आदमपुर में एम्बुलैंस सेवाये उपलब्ध हैं। अतः कोई भी जरूरतमन्द इन एम्बुलैंसों को उपयोग प्राईवेट एम्बुलैंसों से कम दर पर कर सकता है।

10— **<u>प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या का प्रशिक्षण</u>** :— संस्था द्वारा स्कूलों, कालेजों के विद्यार्थियों, उद्योगों के कर्मचारियों तथा आम जनता को प्राथमिक सहायता एवं गृह परिचर्या का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि दुर्घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सके।

11— **<u>दाई केन्द्र</u>** :— इस संस्था द्वारा एक दाई केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र पेटवाड़ में चलाये जा रहे हैं। इन दाई केन्द्रों में प्रसूति केस, बन्धीकरण केस तथा परिवार नियोजन के साधन निःशुल्क दिये जाते है।

12— **<u>कैन्टीन</u>** :— संस्था द्वारा रोगियों व उनके अविभावकों/रिश्तेदारों की सुविधा के लिये सामान्य हस्पताल, हिसार व हांसी में कैंटीन का निर्माण किया हुआ है। जिसमें रोगियों व उनके अविभावकों/रिश्तेदारों को स्वच्छ जलपान की सुविधा कम दर पर उपलब्ध है।

13— **<u>फार्म स्टाल :—</u>** संस्था द्वारा लोगों की सुविधा के लिये लघु सचिवालय/न्यायालय परिसर हिसार में एक फार्म स्टाल स्थापित किया हुआ जिसमें सभी प्रकार के फार्म एक ही जगह लोगों को सस्ती दर पर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

जारी.....................पेज 3

14— <u>जिला विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति</u> <u>एवं पुनर्वास केन्द्र</u> :— इस केन्द्र के तहत विभिन्न प्रकार से शारीरिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिये सर्वे किया जाता है तथा इन्हें उसी आधार पुनर्वास सुविधा के अन्तर्गत कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध करवाएं जाते है।

15— <u>अन्य सुविधायें</u> :—

1. गरीब, बे—सहारा व विधवाओं को अपनी आजीविका कमाने के लिये सिलाई मशीनें अनुदान के रूप में दी जाती है।
2. गरीब रोगियों की मुफत दवाईयॉ तथा नगद राशि के रूप में भी सहायता की जाती है।
3. गरीब व विधवाओं की लड़कियों की शादी के लिये प्रैशर कुकर, कपड़े व राशन आदि प्रदान किया जाता है।
4. गरीब व बे—सहारा व्यक्तियों को कम्बल, राशन तथा कपड़े वितरित किये जाते हैं।
5. गरीब स्कूली छात्र/छात्रओं को गर्म जर्सियॉ, पुस्तके व वर्दियॉ प्रदान की जाती है।
6. प्रदेश/देश/अन्य देश में अचानक प्राकृतिक आपदाओं जैसे :— बाढ़, सूखा व भूकम्प/वायु चक्रवात के समय पीड़ित व्यक्तियों को दवाईयॉ, भोजन, कम्बल व वस्त्र आदि का प्रबन्ध किया जाता है तथा समय—समय पर अन्य राज्यों में भी प्राकृतिक आपदाओं के समय पर आर्थिक सहायता, राशन व दवाईयों आदि का प्रबन्ध किया जाता है।

सचिव